

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 9(27)राज-6/2015/33

जयपुर, दिनांक 28/9/2015

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 के उप-नियम (1) के खण्ड (vii) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,



(कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को उनके प्रस्ताव क्रमांक प. 12-12(5)आरए/2015/1713 दिनांक 17.06.2015 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि नियम 1970 नियम 13 के उप-नियम (1) के खण्ड (vi) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों का मनोनयन पंचायत समिति द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है। अतः आप द्वारा श्री कमलेश कोली (अनुसूचित जाति) सदस्य पंचायत समिति का मनोनयन के संबंध में कार्यवाही अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करें।
4. उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
5. श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल जैन निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
6. निदेशक, केन्द्रिय मुद्राणलय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 28/9/15 प्रकाशनार्थ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क, निदेशालय, जयपुर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव